फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

हिन्दुजा लिलेण्ड फाइनेन्स लिमिटेड, नगर पालिका लिंक रोड, उदयपुर, राजस्थान 313301 — **प्रार्थी बैंक**

बनाम

1. मैसर्स सिद्वी विनायक मार्बल के जरीये प्रोप्राइटर — **ऋणी फर्म**
2. श्री गमेर दास वैष्णव — **प्रोपराइटर**
3. श्रीमती शकुन्तला वैष्णव — **सहऋणी**

बी–7 गोविंद नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजसमंद, राजस्थान 313324

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 63/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07/01/2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी हिन्दुजा लिलेण्ड फाइनेन्स लिमिटेड उदयपुर ने दिनांकः 03.12.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। बैंक ने ऋणी मैसर्स सिद्वी विनायक मार्बल के जरीये प्रोपराइटर श्री गमेर दास वैष्णव, पता :– बी–7 गोविंद नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजसमंद, राजस्थान 313324 दिनांक 01.12.2017 को रूपये 54,00,000/– की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। उक्त ऋण राशि निम्न प्रतिभूति से रक्षित है बंधक अचल सम्पत्ति :– बी–7, गोविंद नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजसमंद, राजस्थान 313324, क्षैत्रफल 230 वर्ग मीटर का करार कर ऋण की अदाएगी हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किए थे। ऋण पर ब्याज एवं अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय हैं। ऋणी द्वारा ब्याज एवं ऋण को चुकाने में असफल रहने पर उनका खाता दिनांक 23.09.2019 को (NPA) वर्गीकृत किया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 24.09.2019 को मांग नोटिस उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिया गया था। जिसमें 60 दिवस में 53,61,505/– (तरेपन लाख इक्सठ हजार पॉच सौ पॉच मात्र) दिनांक 24.09.2019 तक मांग की थी। ऋणी/जमानतदार 60 दिवस में उल्लेखित राशि अदा करने में असफल रहें हैं। बैंक को उक्त बकाया राशि ऋणी/जमानतदार से वसूल करना हैं। बकाया राशि को वसूल करने हेतु प्रतिभूति का भौतिक कब्जा लेकर विक्रय करना हैं।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 24.09.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी हिन्दुजा लिलेण्ड फाइनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है – बी–7 गोविंद नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजसमंद, राजस्थान 313324, क्षैत्रफल 230 वर्ग मीटर है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी हिन्दुजा लिलेण्ड फाइनेन्स लिमिटेड, उदयपुर को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी हिन्दुजा लिलेण्ड फाइनेन्स लिमिटेड, उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)